# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 79/2018

1 प्रताप आयु 80 वर्ष पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी केशरीपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 देशराम पुत्र स्व. भूराराम जाति जाट निवासी केशरीपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2 दयाचन्द पुत्र स्व. भूराराम जाति जाट निवासी केशरीपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
3 शेरसिंह पुत्र स्व. भूराराम जाति जाट निवासी केशरीपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
4 मातुराम पुत्र स्व. भूराराम जाति जाट निवासी केशरीपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
5 बिदामी स्त्री स्व. भूराराम जाति जाट निवासी केशरीपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
6 कॉरपोरेशन बैंक टोडी तहसील उदयपुरवाटी जरिये शाखा प्रबंधक।
7 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी
अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 06.02.2018
बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी
प्रताप बनाम देशराम मु. न. 104/2017 अ. धारा 251:क:
राज. काश्त. अधि. 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—30.09.2?

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 79/2018 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा न. 199 रकबा 2.446 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम केशरीपुरा तहत तहसील उदयपुरवाटी में स्थित है। जमीन हाल ख. न. 199 का खातेदार अपीलांट प्रताप है। जमीन हाल ख.न. 200 रकबा 0.80 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम केशरीपुरा तहत तहसील उदयपुरवाटी में स्थित है। जमीन हाल ख.न. 200 का खातेदार देशराम है। जमीन हाल ख.न. 202 रकबा 0.80 हैक्टरा सरहद राजस्व ग्राम केशरीपुरा में स्थित है। जमीन हाल ख. न. 202 के खातेदार रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 से 5 है। अपीलांट प्रताप ने बड़ागांव से भाटीवाड़ जाने वाले पुख्ता कटानी रास्ते से जमीन हाल ख. न. 199 में जाने के लिये जमीन हाल ख. न. 202 व 200 में पश्चिमी सीमा के सहारे सहारो 3 मीटर चौड़ाई का कटानी रास्ता के लिये अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष धारा 251:कः राजस्थाना काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस प्रार्थना पत्र को अदालता मातहत ने आलौक्ष्य निर्णय दिनांकाा 06.02.2018 के द्वारा खारिज कर दिया जिस आलौच्य निर्णय दिनांकित 06.02.2018 के विरूद्ध अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील उनवानी प्रताप बनाम देशराम मु. न. 23. 02.2018 को पेश की। अपील नं. 23/2018 में सहवन व टाईपिंग गलती से अपीलांट प्रताप के पिता का नाम तेजाराम की जगहा भूराराम दर्ज हो गया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

सत्यमेव जयते
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

जिसमें अपीलान्ट ने अपील नं. 23/2018 में प्रताप के पिता का नाम तेजाराम संशोधन का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके निर्णय दिनांक 28.05.2018 में माननीय न्यायालय ने अपील नं. 23/2018 खारिज कर नई अपील पेश करने की स्वतन्त्रता दे दी। इस पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट की भूमि के कटानी रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपार्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में भू–अभिलेख निरिक्षक से नीचे के स्तर का कर्मचारी रिपार्ट करने के लिये अधिकृत नहीं है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में तहसीलदार की मौका रिपार्ट के आधार पर निकटतम रास्ता होने, मौके पर चालू होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से अपीलान्ट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर. आर. टी 2016(1) पेज 649 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट की भूमि के कटानी रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपार्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में भू–अभिलेख निरिक्षक से नीचे के स्तर का कर्मचारी रिपार्ट करने के लिये अधिकृत नहीं है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया की पालना कर पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.10.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर